बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 3610348

ग्रा0वि0-05/प्र0आ0यो0(2024-25 का0)-102-15/2024

पटना, दिनांक:- 23/01/2025

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण(PMAY-G) के लाभार्थियों को उनके आवास निर्माण के क्रम में मनरेगा के अभिसरण से 90/95 मानव दिवस के समतुल्य मजदूरी का भुगतान किया जाता है । इस हेतु योजना के लाभार्थियों का मनरेगा जॉब कार्ड होना अनिवार्य है ।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों, नवसृजित कच्चे आवासों में रहने वाले तथा आवास विहीन परिवारों का नाम सर्वेक्षण के पश्चात आवास प्लस, 2024 के माध्यम से जोड़ा जा रहा है । इस प्रक्रिया में लाभुकों के मनरेगा जॉब कार्ड की प्रविष्टि अनिवार्य है ।

कच्चे आवासों में रहने वाले एवं आवास विहीन परिवार जिनके पास पूर्व से मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं है, वैसे परिवारों को ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक की उपस्थिति में प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर जॉब कार्ड निर्गत किया जाना आवश्यक है, ताकि इन परिवारों को आवास प्लस, 2024 की सूची में शामिल करते हुए उन्हें नियमानुसार आवास का लाभ दिया जा सके ।

अतः अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभुक परिवार जिनका पूर्व से मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं है, वैसे परिवारों को जॉब कार्ड निर्माण करने हेतु मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाय तथा इसका जिला स्तर से नियमित अनुश्रवण किया जाय ।

विश्वासभाजन

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

Biharhelp.IN